

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पिठासीन अधिकारी:- मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 103/2017 (वाद)

दायर दिनांक - 10/11/2017

निर्णय दिनांक -21/01/2021

अनवान

1. कमलेश कुमार पिता सोहनदास वैरागी निवासी फुंकिया तहसील रेलमगरा
2. श्रीमति नानी पत्नि स्व. सोहनदास वैरागी निवासी फुंकिया तहसील रेलमगरा
3. बंशीदास पिता गंगादास वैरागी निवासी फुंकिया तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. मोहन पिता प्रताप अहीर निवासी फुंकिया तहसील रेलमगरा
2. बंशीलाल पिता कुका अहीर निवासी फुंकिया तहसील रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम फुंकिया पटवार हल्का पिपली डोडियान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 820, 821 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5585 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

१
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा (हे०में)	लगान
1.	कमलेश पुत्र सोहनदास 1/4, नानी पत्नि सोहनदास 1/4, बंशीदास पुत्र गंगादास 1/2 वैरागी सां.देह खातेदार	821 मीन	0-2793	4-55
	योग :-	किता-01	0-2793	4-55
2.	बंशीलाल पुत्र कुका अहिर सा.देह खातेदार	820 821/1	0-2671 0-0121	0-83 0-21
	योग :-	किता-02	0-2792	1-04

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

५
(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा